सर्विलांस ने पकड़ा डॉ. अनुष्का का सात घंटे लंबा झूठ

डॉक्टर की मौजूदगी में हुआ था विनीत और मयंक का हेयर ट्रांसप्लांट, ओटी में ग्लव्स और मास्क लगाकर दे रही थी निर्देश

मौत का ट्रांसप्लांट

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बहुचर्चित हेयर ट्रांसप्लांट कांड की तफ्तीश में पुलिस को चौंकाने वाली कई जानकारियां मिली हैं। क्राइम ब्रांच की जांच से उजागर हुआ है कि मरने वाले दोनों इंजीनियर विनीत दुबे और मयंक कटियार के हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त डॉ. अनुष्का त्रिपाठी भी मौजूद थीं। दोनों के हेयर ट्रांसप्लांट जिन तारीखों पर हुए उस दिन की सात घंटे तक इन दोनों के साथ ही डॉ. अनुष्का की सर्विलांस के जरिए लोकेशन भी एक साथ एक ही जगह मिली है। इससे जाहिर है कि अनुष्का ने छह बिंदुओं का जो बयान पुलिस को भेजा था वो झूठ का पुलिंदा था।

अभी तक डॉ. अनुष्का द्वारा यही दावा किया जा रहा था कि विनीत और मयंक के हेयर ट्रांसप्लांट बर्रा में किसी और सेंटर पर हुए थे जहां वह मौजूद नहीं थीं। उनका यह भी दावा था कि न तो ट्रांसप्लांट के वक्त वह मौजूद थीं और न ही उनके सेंटर पर ट्रांसप्लांट हुआ। क्राइम ब्रांच की जांच ने इस झूठ की कलई खोल दी है। तफ्तीश में क्राइम ब्रांच के पास लोकेशन हाथ लगने से मजबूत साक्ष्य भी हासिल हो गया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉ. अनुष्का खुद मास्क और ग्लव्स पहनकर मौजूद थीं और लगातार निर्देश दे रहीं थीं।

आरोपित डॉ. अनुष्का।

मयंक कटियार और विनीत की फाइल फोटो।

18 नवंबर और 13 मार्च को क्लीनिक की लोकेशन

पुलिस ने जांच में इसे प्रमुख बिंदु बनाया कि विनीत और मयंक के परिजनों के साथ अनुष्का के बयान का सच क्या है। यही वजह है कि ट्रांसप्लांट की तारीखों को जांच का सबसे खास आधार बनाया गया। परिजनों के मुताबिक 18 नवंबर को फर्रुखाबाद के मयंक का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। 19 नवंबर 2024 को मौत हुई थी। पनकी पावर प्लांट के असिस्टेंट इंजीनियर विनीत दुबे ने 13 मार्च 2025 को हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। 15 मार्च को उनकी रीजेंसी अस्पताल में मौत हो गई थी। लिहाजा पुलिस ने ट्रांसप्लांट की दोनों तारीखों पर विनीत, मयंक और डॉ. अनुष्का की मोबाइल लोकेशन निकलवाई तो सच सामने आ गया। यह साफ हो गया कि इन तारीखों पर सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे यानी सात घंटे तक की एक साथ ही लोकेशन मिल गई। खास बात यह कि यह लोकेशन डॉ. अनुष्का के ही क्लीनिक की है। इससे डॉ. अनुष्का का यह दावा भी झूठा निकला कि ट्रांसप्लांट उनके क्लीनिक में नहीं हुआ।

मृतकों के परिजनों के ये बयान भी जांच में अहम

पुलिस की पूछताछ में हेयर ट्रांसप्लांट कराने वालों और मृतकों के परिजनों के बयान भी जांच में अहम हैं और लोकेशन से मेल खा रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले रामजी सचान ने बताया ग्लव्स और मास्क पहनकर डॉ. अनुष्का खड़ी रहती थीं। लड़कों को निर्देश देती थीं। मयंक कटियार की मां प्रमोदिनी ने भी ऐसा ही बयान दिया है।

मयंक के भाई ने कहा-भैया को छोड़ने बाहर आई थी

मयंक का छोटा भाई कुशाग्र हेयर ट्रांसप्लांट के समय क्लीनिक के बाहर मौजूद था। वह इस घटना का चश्मदीद भी है। उसने पुलिस को बताया है कि भैया स्वेटर पहने हुए थे। डॉक्टर अनुष्का ने कहा कि भैया का स्वेटर उतार दो। इस पर उसने टीशर्ट खरीदकर दी थी और स्वेटर उतार दिया था।

गवाह तीनों युवतियों की तलाश शुरू

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। केशवपुरम में डॉ. अनुष्का का क्लीनिक तीन युवतियां संभालती थीं। हिन्दुस्तान की पड़ताल में यह तथ्य सामने आने के बाद अब पुलिस इन तीनों युवतियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक इन युवतियां के बयान दर्ज किए जाएंगे। हालांकि अभी पुलिस के पास इनके पते नहीं हैं। लिहाजा इनके पते की जानकारी जुटायी जा रही है।

इन युवतियों की बयान के बाद डॉ. अनुष्का के पूरे खेल का खुलासा हो जाएगा। बहरहाल पुलिस के पास इतने सबूत हैं जो डाक्टर की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं। केस और मजबूत हो, इसके लिए और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। डॉ. अनुष्का के क्लीनिक में जो युवक हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। जांच में आया है कि डॉ. अनुष्का हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ही इन्हें हायर करती थी।

बिना अधिकार डाक्टर कर रही थी हेयर ट्रांसप्लांट : पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉ. के पास रोहतक मेडिकल कालेज से बीडीएस यानी दांतों के इलाज की डिग्री है। इसी डिग्री के आधार पर वह कानपुर के प्रैक्टिस कर रही है। नियम है कि दूसरे प्रदेश की डिग्री से प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उस प्रदेश के मेडिकल एसोसिएशन में भी पंजीकृत होना चाहिए लेकिन डॉ. अनुष्का ने ऐसा नहीं किया। उसने यूपी मेडिकल एसोसिएशन में पंजीकरण नहीं कराया है। ऐसे में उसे कानपुर में इलाज का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनीत के दिल का वजन था 450 ग्राम

कानपुर। सहायक अभियंता विनीत दुबे का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का कहना है कि उसका चेहरा, होंठ और नाखून नीले पड़ चुके थे। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा जिससे उसके चेहरे पर सूजन थी। सिर पर हेयर ट्रांसप्लांट के निशान भी मिले थे। दिल का वजन 450 ग्राम था। इसे 300 ग्राम होना चाहिए था। फेफड़े का वजन 450 था जबकि इनका वजन 650 ग्राम के आसपास होना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ पता नहीं चल रहा था जिसके चलते ब्लड सैंपल, लिवर, छोटी बड़ी आंत का टुकड़ा और दोनों गुर्दों से सैंपल लेकर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है।

इनकी सुनिए

"अनुष्का डेंटिस्ट है, इनका कानपुर आईएमए या यूपी आईएमए से कोई सरोकार नहीं है। इनके पास हेयर ट्रांसप्लांट का कोई अधिकार नहीं है। **-डॉ. नंदिनी रस्तोगी**, प्रेसिडेंट आईएमए कानपुर

"इसकी सीडीआर पुलिस के पास है। क्लीनिक में काम करने वाले सभी लोगों से पुलिस संपर्क कर रही है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। **-दिनेश कुमार त्रिपाठी**, डीसीपी पश्चिम

"विनीत का बीपी हाई था अथवा उसके वाल्व में गंभीर दिक्कत थी। हार्ट की नसें भी डैमेज हो रही थीं, दिल बढ़ा होने के यही कारण हो सकते हैं। **-डॉ. आरके वर्मा**, निदेशक कार्डियोलॉजी

"डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार ओएमएफएस से एमडीएस करने वाले डेंटिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए योग्य माने गए हैं। **- डॉ. अवधेश तिवारी**, अध्यक्ष आईडीए कानपुर

सूफी खानकाह ने तुर्किये से नाता तोड़ा

विरोध

- सूफी शाखाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े थे, अब नहीं रहेगा रिश्ता
- तुर्की के शेख उजैर की खिलाफत रद्द की, कहा वतन से मोहब्बत जरूरी

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। ऑल इंडिया सूफी खानकाह एसोसिएशन ने मंगलवार को तुर्किये से नाता तोड़ लिया। कहा, भारत विरोधी किसी भी व्यक्ति और देश से एसोसिएशन कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। तुर्की के शेख उजैर की खिलाफत (नेतृत्व) को भी रद्द कर दिया। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर कार्रवाई के बाद भारत के खिलाफ खड़े हुए तुर्किए का विरोध करते हुए उसका बायकॉट शुरू कर दिया गया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खानकाह फैजिया मजीदिया के गद्दीनशीन सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने तुर्किये के शेख उजैर बिन मोहम्मद अल समसूनी को अपने स्तर से दी गई खिलाफत और इजाजत को रद्द कर दिया है।

सूफी कौसर ने कहा कि 28 जुलाई 2023 को तुर्किये के शेख़ को सिलसिला ए आलिया, कादरिया, चिश्तिया समेत अन्य सूफ़ी परंपरा के उन सभी सिलसिले (स्कूल क्रम), जिनकी ख़िलाफत ओ इजाज़त (नेतृत्व) का अधिकार हमें हासिल है, उनकी ख़िलाफत और इजाज़त शेख उजैर को दी थी। इसे ही निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि हम सूफियों को वतन से मोहब्बत का दर्स दिया गया है। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हर उस शख़्स तंजीम या वतन जो हमारे मुल्क का जर्रा बराबर भी मुखालिफ (खिलाफ) हो उसके साथ ताल्लुक रखना देश के प्रेम के उसूलों को खंडित करता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की हिमायत में तुर्किये खड़ा हो गया, जो हमारी गैरत के खिलाफ है।

वाया गोविंदपुरी एक और ट्रेन 24 मई से

कानपुर। रेल प्रशासन ने नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग के मद्देनजर एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 24 से साप्ताहिक हर शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन गोविंदपुरी होकर आएगी और जाएगी। बुधवार से इसमें रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा।

ये रहा शेड्यूल : 05219 स्पेशल ट्रेन हर शनिवार मुजफ्फरपुर से चलेगी। यह मुजफ्फरपुर से 13.30 बजे चलर गोविंदपुरी आधी रात के बाद 2.00 बजे आएगी। पांच मिनट बाद चलकर आनंदविहार सुबह 10 बजे पहुंचाएगी। यह ट्रेन 24 मई से 19 जुलाई तक चलेगी। **05220** स्पेशल ट्रेन आनंदविहार से हर रविवार आनंदविहार से चलेगी।

सजा के डर से भाग निकला डॉक्टर, गिरफ्तारी वारंट

- 14 मई से डॉ. पत्नी की हत्या के मामले में चल रहा है फरार
- पुलिस कमिश्नर को कोर्ट का पत्र, 22 तक गिरफ्तार कर पेश करें

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दहेज के लिए डॉ. पत्नी की हत्या करने के एक मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले आरोपी डॉक्टर फरार हो गया। मंगलवार को इस मामले में फैसला आने की उम्मीद थी। आरोपी कोर्ट के बाहर मौजूद था। जैसे ही केस की पुकार हुई वह भाग खड़ा हुआ। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 22 मई तक उसे कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

प्रयागराज के नैनी निवासी अर्जुन प्रसाद ने बेटी डॉ. मंजू वर्मा की शादी 29 जनवरी 2019 को रायबरेली चतुर्भुजपुर आईटीआई कॉलोनी, हाल पता बिठूर सिंहपुर रोड कल्याणपुर निवासी डॉ. सुशील वर्मा के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही सुशील, जेठ सुनील दत्त, देवर सुधीर कुमार समेत अन्य ससुरालीजन फ्लैट के लिए 30 लाख रुपये की मांग करने लगे। आरोप था कि मांग पूरी न होने पर आए दिन बेटी को प्रताड़ित करते थे।

14 मई की देर रात सुधीर ने मंजू के आठवीं मंजिल से चक्कर खाकर गिरने की सूचना दी। मौके पर परिवार पहुंचता तब तक बेटी की मौत हो चुकी थी। अर्जुन ने ससुरालीजनों के खिलाफ बिठूर थाने में दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला एडीजे-14 की कोर्ट में विचाराधीन है। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि मंगलवार को फैसला सुनाया जाना था। सुशील कोर्ट के बाहर खड़ा था। पुकार कराए जाने पर वह भाग गया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि इस मुकदमे का निस्तारण उच्चत्तम न्यायालय के आदेश पर वरीयता से किया जाना है।

अभियुक्त न्यायालय कक्ष के बाहर मौजूद था, पुकार पर कोर्ट में नहीं आया। उसकी तरफ से कोई प्रार्थनापत्र भी नहीं दिया गया। 22 तक उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।

शोक संदेश

ॐ शांति ! ॐ शांति !!

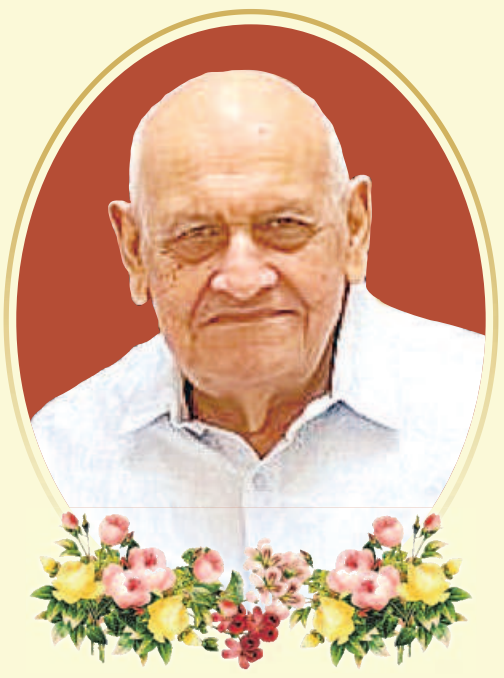

।। जीवन को मैंने सौंप दिया हे शेष तुम्हारे चरणों में ।।

हमारे पूज्य स्मृतिशेष

श्री दिनेश चन्द्र मिश्र जी

का निधन सोमवार को नई दिल्ली में हो गया था।
उनका अंतिम संस्कार 21 मई, बुधवार को कानपुर में किया जाएगा।
अंतिम यात्रा प्रातः 10 बजे हमारे निवास "शेष सदन",
16/60 सिविल लाइंस से भगवत दास घाट,
कानपुर के लिए प्रस्थान करेगी।

शोकाकुल

श्रीमती बिमला मिश्रा
अनंत मिश्रा (अंटू) पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार - शिखा मिश्रा
अनुराग - ऋतु मिश्रा, अमिताभ-दिव्या मिश्रा, अभिषेक-नमिता मिश्रा,
अनुव्रत-प्रिया मिश्रा, सुष्मिता, अरहन,
अरनव, अनय, सुमय, अवी, अनिका,
शिवम तिवारी

कानपुर विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

"एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आनलाइन मैप संख्या–के0डी0ए0 / बी0पी0 / 2024–25 / 1262 श्रीमती सुभाषनी खन्ना द्वारा मकान नं0–16 / 19 ए सिविल लाईन कानपुर पर पेट्रोल पम्प हेतु आवेदन किया गया है। उक्त स्थल का भू–उपयोग कानपुर महायोजना–2021 में आवासीय है। कानपुर महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रिया सर्शत से अनुमन्य है। शर्त यह है कि भूखण्ड के सम्मुख 24.00 मी0 चौड़ा विद्यमान मार्ग होना चाहिए कानपुर महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार सर्शत से अनुमन्य किये जाने के अन्तर्गत कानपुर महायोजना–2021 में दर्शित उपयोग से इतर क्रिया / उपयोग सर्शत से अनुमन्य उपयोग में अनुमन्य किये जाने से पूर्व उ0प्र0 नगर नियोजन एवं अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। तत्क्रम में जन–सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति / संस्था को उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव देना हो तो मुख्य नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के मोतीझील स्थित कार्यालय (प्रथम तल) में लिखित रूप से उक्त सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति / सुझाव को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(अभय कुमार पान्डेय)
सचिव
कानपुर विकास प्राधिकरण

JKCement

जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड

सीआइएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर- 208 001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478 | फैक्स: +91 512 2332665
ईमेल: shambhu.singh@jkcement.com | वेब: www.jkcement.com

दावा रहित/भुगतान रहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अंतरण के पूर्व इक्विटी शेयरहोल्डर्स/सदस्यों को सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांश वर्तमान में कंपनी के पास हैं, और इन्हें सितम्बर 2025, के प्रथम सप्ताह में आई ई पी एफ को अंतरित किया जाना प्रस्तावित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी के उन इक्विटी शेयरों को, जिनके लाभांश का दावा या भुगतान लगातार सात वर्षों या अधिक समय से नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अनिवार्य रूप से अंतरित किया जाना अपेक्षित होगा, इससे सबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर "Information about IEPF" सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एतत सबंधित सूचना, सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से, उनके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया गया है।

सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने दावे लिखित रूप में कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेण्ट NSDL Database Management Limited (NDML), 4th Floor, Tower 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400 013 को दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक भेज दें।

यदि कंपनी को दिनांक 31.07.2025 तक कोई भी वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी सितम्बर, 2025 के प्रथम सप्ताह में ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित करने की दिशा में आगे की कार्यवाही करेगी। एक बार कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित कर देने के पश्चात, सम्बधित सदस्य ऐसे शेयरों पर दावा केवल आई ई पी एफ प्राधिकरण को ही इस हेतु नियत प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत कर सकेंगे। एक बार आई ई पी एफ को शेयर अंतरित करने के पश्चात् ऐसे दावा रहित या भुगतान रहित शेयरों की वापसी के सम्बंध में कोई भी दावा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांशों को कंपनी द्वारा पहले ही आई ई पी एफ में अंतरित किया जा चुका है। इस हेतु किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण हेतु कृपया shambhu.singh@jkcement.com / sunilk@ndml.in पर ई-मेल भेज कर अथवा टेलीफोन नं. +022 4914 2578/ 2589 पर फोन करके प्राप्त किया जा सकता है।

यह सूचना आई ई पी एफ प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा धनवापसी) नियम 2016 के लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित की गयी है।

स्थानः कानपुर
दिनांकः 20.05.2025

कृते जे. के. सीमेंट लिमिटेड
शम्भू सिंह
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप सं0 एफसीएस 5836

शहर 30s

35 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन

कानपुर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने मंगलवार को श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को नामित ज्ञापन श्रम अधिकारी को सौंपा। 35 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनियनों ने एकजुटता दिखाई। श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने श्रम विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आगामी 9 जुलाई को देश में चक्का जाम आंदोलन छेड़ा जाएगा। मौके पर असित कुमार सिंह संयोजक, पीएस बाजपेई, राजीव खरे, राणा प्रताप सिंह, तारणि कुमार पासवान, आरडी गौतम, एचएन तिवारी, गौरव दीक्षित, मीनाक्षी सिंह, मो वशी, एसएएम ज़ैदी रहे।

लोहे के पाइप लदे ट्रक को जीएसटी से छुड़ाया

कानपुर। गुजरात से 35 टन लोहा पाइप लादकर कानपुर आ रहे ट्रक को मंगलवार सुबह फतेहपुर सीकरी में आगरा स्टेट जीएसटी के सचल दल ने रोक लिया। अफसर ई-वे बिल में पिन कोड की कमी बताकर उसे सीज करने लगे। इसकी जानकारी व्यापारी वेद प्रकाश जायसवाल ने भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के ज्ञानेश मिश्रा को दी। ज्ञानेश ने बताया कि उन्होंने सचल दल इकाई सीटीओ प्रभात सिंह से बात की और कहा कहा कि टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल में सब कुछ ठीक है। पिन कोड जैसी मामूली कमी बताकर गाड़ी सीज करना गलत है। लंबी बहस के बाद एक घंटे बाद गाड़ी छोड़ी गई।

अंकल कहने पर डिलीवरी ब्वॉय को बेल्ट से पीटा

कल्याणपुर। अंकल कहने पर भड़के एक युवक ने डिलीवरी ब्वॉय को बेल्ट से बेरहमी से पीट दिया। रोशन नगर में हुई इस घटना के बाद डरे डिलीवरी बॉय ने रावतपुर थाने में तहरीर दी। रावतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शास्त्री नगर निवासी दिव्यांशु गुप्ता एक कंपनी में डिलीवरी बॉय है। 16 मई की रात वह डिलीवरी के लिए गया था। आरोप है कि परचून की दुकान के पास खड़े युवक को अंकल कहकर उसने पता पूछा। जिस पर भड़के युवक ने बेल्ट निकालकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

नशेबाजी के विरोध में भाइयों का सिर फोड़ा

कानपुर। कोतवाली स्थित गुप्तार घाट के पास नशेबाजी के विरोध में आरोपितों ने दो भाइयों को पीटकर सिर फोड़ दिया। शोर-शराबा सुनकर इलाकाई लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपित धमकाते हुए भाग निकले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। स्वरूप नगर निवासी दीपक बागला ने बताया कि बीती 18 मई को वह अपने भाई मोहित के साथ सिविल लाइन्स में रहने वाले दोस्त के घर जा रहा था। गुप्तार घाट पर बीच चौराहे पर कार खड़ी कर चार युवक शराब पी रहे थे। उन्होंने कार हटाने के लिए बोला तो आरोपित गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी।

मेट्रो का माल चुरा रहे चोर को पकड़ा, भेजा जेल

कानपुर दक्षिण। सीटीआई के पास चल रहे मेट्रो निर्माण की सामग्री चुरा रहे शातिर को कर्मचारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे गोविंदनगर पुलिस को सौंप दिया। जहां से पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। कर्रही निवासी निखिल गुप्ता ने बताया कि वह मेट्रो निर्माण से जुड़े काम देखने वाली कंपनी सीगल में एडमिन हैं। उनके अनुसार सीटीआई के पास मेट्रो निर्माण का काम चल रहा है। सोमवार दोपहर पौने तीन बजे पिलर संख्या 61 के पास से स्कूटी सवार युवक ने मेट्रो निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लोहे की जाली को चोरी कर स्कूटी में रख ली।

डंपर में घुसा कंटेनर, केबिन में फंसा चालक

सचेंडी। भौंती स्थित पीएसआईटी कॉलेज के पास नेशनल हाईवे पर कंटेनर टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खराब खड़े मौरंग लदे डंपर में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक उसी में फंस गया। सचेंडी पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह हाईवे पर पीएसआईटी के पास एक कंटेनर रनिया की ओर जा रहा था, इसी दौरान उसका आगे का एक टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े डंपर में जा घुसा।

महिला की मौत पर ससुरालियों पर मुकदमा

चकेरी। दहेली सुजानपुर के आदर्श विहार में बीते सोमवार को महिला का शव मिलने के मामले में आरोपित पति समेत ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आदर्श विहार निवासी आशीष गुप्ता की 25 वर्षीय पत्नी स्नेहा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला था। मायके पक्ष ने पति समेत ससुरालियों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा हंगामा किया था।

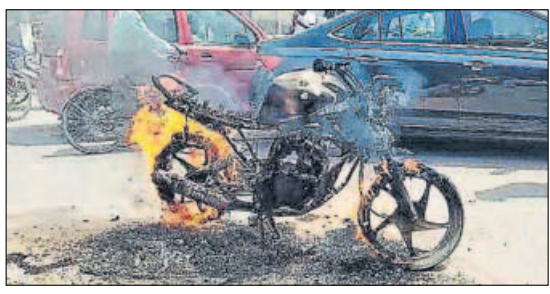

शॉर्ट सर्किट से धू-धूकर जली बाइक

कानपुर। फजलगंज स्थित चैन फैक्ट्री चौराहा के पास मंगलवार सुबह एक बाइक की केबल में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मौके पर पहुंचे फजलगंज के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फजलगंज फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि बाइक सवार युवक जा रहा था। अचानक बाइक की केबल शार्ट होने से धुआं निकलने लगा। युवक बाइक स्टैंड पर लगाकर देखने लगा। जब तक वह कुछ समझ पाता बाइक जलने लगी।

गोविंदनगर में मोबाइल छीन कर ले भागे किशोर

कानपुर दक्षिण। गोविंदनगर में प्राइवेट कर्मी से दो किशोरों ने एक कॉल कराने के लिए मोबाइल मांगा। पीड़ित ने मोबाइल निकाला तो एक ने धक्का दिया। इसके बाद दोनों मोबाइल लेकर भाग निकले। अवधेश ने बताया कि वह गांधी पार्क मोड़ के पास टहल रहे थे। 13 -14 साल के दो किशोर उनके पास आए और मोबाइल से कॉल कराने को कहा। जेब से फोन निकाला और उनकी ओर बढ़ाया तो उनमें से एक लड़के ने झपट्टा मार कर फोन छीन लिया और दोनों भाग निकले।

युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या

कानपुर। महाराजपुर के महुआ गांव निवासी तिलकधारी सिंह की 25 वर्षीय बेटी निशा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन ने बताया कि बीती 11 मई को निशा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान मंगलवार को युवती की मौत हो गई।

पत्नी ने मायके वालों संग मिल ससुरालियों को पीटा

कानपुर। नवाबगंज स्थित एनआरआई सिटी निवासी अंकित निगम ने अपनी पत्नी पर मायके वालों के साथ मिलकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि 2013 में लाल बंगला में रहने वाली अवन्तिका श्रीवास्तव से विवाह हुआ था। पत्नी के गुस्सैल स्वभाव के कारण वह परिवार से अलग फ्लैट में रहते हैं। बीती 17 मई को वह बेटी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पत्नी बेवजह का विवाद करने लगी।